रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 877] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2017/चैत्र 8, 1939
No. 877] NEW DELHI, WEDNESDAY MARCH 29, 2017/CHAITRA 8, 1939

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2017

का.आ. 984(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कार्यान्वित कर रहा है; स्कीम का प्रयोजन समग्र रूप से हथकरघा का विकास करना है।

और स्कीम के अधीन शिक्षावृत्ति, मानदेय, डिजाइनर फीस, यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, अन्य कल्याणकारी फायदों के रूप में वित्तीय सहायता और करघों, करघों के हिस्सों तथा सहायक उपकरणों (वस्तु के रूप में) के वितरण, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, विपणन आयोजन और क्रेता-विक्रेता बैठक (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) के लिए हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कामगारों (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यक्तिक फायदा कहा गया है) को प्रदान किए जाते हैं तथा डिजाइनरों, विशेषज्ञों, फैकल्टी, प्रशिक्षकों और संविदा पर ली गई श्रमशक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुविधा प्रदाता कहा गया है) तथा व्यष्टिक फायदाग्राही और सुविधाप्रदाता, दोनों को स्कीम के अधीन सामूहिक रूप से फायदाग्राही कहा जाएगा।

और स्कीम पर समूचे देश में विभाग के फील्ड कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से मानीटरी की जाती है और इनका कार्यान्वयन, स्कीम के अधीन यथा परिभाषित एजेंसियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से किया जाता है।

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन पूर्ण करें।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है कि जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे आस-पास में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपबंध करा सकेगा ।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन व्यष्टि, फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किया जाना है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा निर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज-

(i) मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) कोई सरकारी पहचान-पत्र; या

(vi) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी पहचान-पत्र;

(ix) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, विभाग अपने फील्ड कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(क) इस स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने पहले से

नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सके। उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि, ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम,पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग के फील्ड कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित प्रभारी अधिकारी या उसके कार्यान्वयन अभिकरण या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/3/2016/डी.सी.एच./बजट एवं लेखा]

आलोक कुमार, विकास आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

[OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER (HANDLOOMS)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2017

S.O. 984(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Office of Development Commissioner (Handlooms) (hereinafter referred to as the Department), Ministry of Textiles in the Government of India is implementing National Handloom Development Programme [NHDP] and Comprehensive Handloom Development Cluster Scheme (CHCDS) (hereinafter referred to as the schemes); the purpose of the Schemes is to develop the handloom sector in a holistic manner.

And whereas, under the Schemes, financial assistance in the form of, stipend, honorarium, designer fees, travel allowance, Dearness Allowance, other welfare benefits and distribution of looms, loom parts and accessories (in-kind), for training, workshop, seminars, marketing events and buyer-seller-meet (hereinafter referred to as benefits) is provided to handloom weavers and allied workers (hereinafter referred to as the individual beneficiaries) and designers, experts, faculties, trainers and hired manpower (hereinafter referred to as the facilitators) and both individual beneficiaries and the facilitators shall be collectively called as the beneficiaries under the Schemes;

And whereas, the Schemes are monitored through the Department's field offices and zonal offices across the country and implemented through the agencies (hereinafter referred to as the Implementing Agencies) as defined under the Schemes;

And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Textiles hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the Schemes is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) An individual desirous of availing the benefits under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017 provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per he provisions of section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at uidai website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities to the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies, is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by Department itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Schemes shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) any of the following documents-

(i) Voter Identity Card; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Any Government ID Card; or

(vi) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Identity card issued by office of Development Commissioner Handlooms, Ministry of Textiles or the State Governments;

(ix) Any other document as specified by the Central Government:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide convenient benefits under the Scheme to the beneficiaries, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies, shall make all required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 31st March 2017, in case they are not yet enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries are not able to enroll due to non-availability of enrollment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its field offices, zonal offices and the Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the officer in-charge specifically designated by the

field offices and zonal offices of the Department, or its Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu & Kashmir.

[F. No. 1/3/2016/DCH/B&A]

ALOK KUMAR, Development Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.30 12:34:09 +05'30'